

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला-शाहपुरा

क्रमांक / सीडर / 2024/349/2024

दिनांक :- 13/05/2024

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र.सं. 349 / 24 अनवान कमला पत्नि घनश्याम भीणा निवासी-पांचा का बाड़ा, तहसील-जहाजपुर, शान्ति पत्नि किशनलाल भीणा निवासी-पांचा का बाड़ा, तहसील-जहाजपुर बनाम फूला देवी पत्नि मोहन भीणा निवासी-बृज की डूंगरी, तहसील-जहाजपुर, मन्जू देवी पत्नि रामसिंह भीणा निवासी-बृज की डूंगरी, तहसील-जहाजपुर, की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम शक्करगढ़, प.ह. शक्करगढ़, तहसील-जहाजपुर में स्थित आ.सं. 29/1, 33/1, 33/2 कुल किता 3 रकबा 2.3877 हैक्टर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ़ को कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर फीस 2000/-रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/सम्मन भेजकर उभय पक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी आदेश पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम-जहाजपुर (शाहपुरा)
कमला पत्नि घनश्याम मीणा निवासी-पांचा का बाड़ा, तहसील-जहाजपुर वगैरा,
बनाम

फूला देवी पत्नि मोहन मीणा निवासी-बृज की डूंगरी, तहसील-जहाजपुर वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 आर. एल.आर.ए. मुकदमा नं. 339/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
31/05/24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की आ.सं. 29/1, 33/1, 33/2 कुल किता 3 रकबा 2.3877 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111, 128 रा.ले. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि आ.सं. आ.सं. 29/1, 33/1, 33/2 कुल किता 3 रकबा 2.3877 हैक्टर कृषि भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000/-रूपये तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200/-रूपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 13.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)